

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2026
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0007 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 08/05/2026 18:11 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 08/05/2026 Time (समय): 18:11 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011 Date and Time (दिनांक और समय): 08/05/2026 18:11 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 95 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): आदर्श हाई स्कूल गांव चौशाला, जिला कैथल

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): रामचन्द्र

(b) Father's Name (पिताका नाम): भीम सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1966

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(f)



Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	सुभाष नगर वार्ड न 3, खुराना रोड, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	सुभाष नगर वार्ड न 3, खुराना रोड, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8168607736

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	औम हुड्डा			1. गांव बडसीकरी, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है:-

सेवा मे,

श्रीमान जी,

निवेदन है कि, मैं रामचन्द्र पुत्र श्री भीम सिंह वासी सुभाष नगर खुराना रोड कैथल का रहने वाला हूं और घरेलू कार्य करता हूं मेरा लडका सन्दीप जो सुदेश देवी पुत्री श्री मंगल राम वासी चौशाल जिला कैथल के साथ शादी शुदा है मेरी



पुत्र वधु सुदेश देवी ने वर्ष 2003 मे आदर्श हाई स्कूल चौशाला से दसवीं कक्षा पास की थी स्कूल के रिकार्ड मे दसवीं की मार्कशीट मे सुदेश देवी की माता का नाम कमला देवी लिखा हुआ था जो असली नाम चौली देवी है मैने इस बारे मार्च 2026 मे आदर्श हाई स्कूल चौशाला के मालिक प्रिन्सीपल श्री औम हुड्डा से सम्पर्क किया जिसने मुझे कहा कि मैं स्कूल के रिकार्ड मे सुदेश देवी की माता का नाम चौली देवी करके BEO से काऊन्टर साईन करवाकर सर्टिफिकेट दे दूंगा इसके लिये चात्सि हजार रुपये देने पडेंगे मेरी पुत्र वधु सुदेश ने आन लाईन तीस हजार व दस हजार रुपये अलग-2 तिथियाँ मे हुड्डा के खाता मे ट्रांसफर कर दिये उस पर श्री औम हुड्डा ने स्कूल के रिकार्ड मे सुदेश देवी का माता का नाम कमला देवी की जगह चौली देवी करके मेरे को रजिस्टर प्रवेश की फोटो कापी दे दी तथा एक शिक्षा बोर्ड भिवानी का फार्म DMC मे माता का नाम ठीक करने के लिये अपनी पुत्र वधु के हस्ताक्षर करवाकर श्री औम हुड्डा को दे दिया था मैने दिनांक 4-5-2026 व आज दिनांक 08.05.2026 को अपने बेटे के मोबाईल न. 99927-04440 से श्री औम हुड्डा के मोबाईल न. 80597-92342 पर सम्पर्क किया ओर कहा कि सुदेश देवी की दसवीं व आठवीं की DMC मे माता का नाम ठीक कराना है इस पर श्री औम हुड्डा ने कहा कि यदि मैं अपने स्कूल का रिकार्ड भिवानी बोर्ड मे नही भेजूंगा तो भिवानी बोर्ड वाले DMC मे उसकी माता के नाम ठीक नही हो पाएगा मेरी भिवानी बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों से बात हो गई है पचेतर हजार रुपये माता का नाम ठीक करने के लगेंगे ओर आज भिवानी बोर्ड से अधिकारी कर्मचारी मेरे पास स्कुल आ रहे हैं मैने कहा कि आज मेरे पास पचेतर हजार रुपये नही हैं पचास हजार रुपये हैं इस पर श्री औम हुड्डा ने कहा 50000/- रुपये आज दे दो बाकि के 25000/- रुपये सोमवार को दे देना तथा कहा कि जो आपने फार्म भर कर दिया था वो मेरे पास है आप असल DMC व सुदेश के आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली ID की प्रतियां की प्रति पचास हजार रुपये के साथ दे देना मेरे से श्री औम प्रकाश हुड्डा मेरी पुत्र वधु सुदेश देवी की माता का नाम दसवीं व आठवीं की DMC मे ठीक करवाने की एवज मे शिक्षा बोर्ड भिवानी के अधिकारियों के नाम के 50000/- रुपये की रिस्वत मांग रहा है मैने श्री औम हुड्डा की रिस्वत मांगने बारे रिकार्डिंग मोबाईल फोन मे की हुई है आज मुझे श्री औम हुड्डा प्रिन्सीपल ने 50000/- रुपये वा DMC वगैरा लेकर बुलाया है मैं उसी रिस्वत राशि नही देना चाहता यदि मैं उसको रिस्वत राशि नही दूंगा तो वह अपने स्कूल का रिकार्ड भिवानी शिक्षा बोर्ड मे पेश नही करेगा ओर मेरी पुत्र वधु का माता का नाम ठीक नही करायेगा मैने आपको 500/500 रुपये 100 करन्सी नोट कुल 50000/- रुपये श्री औम हुड्डा मालिक प्रिन्सिपल आदर्श स्कूल चौशाला हाल बडसीकरी जिला कैथल को देने के लिये दरखास्त के साथ पेश किये हैं श्री औम हुड्डा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

-sd- अंग्रेजी

रामचन्द्र s/o भीम सिंह
वासी सुभाष नगर खुराना
रोड वार्ड न. 3 कैथल
M.P 81686-07736.
dt. 8-5-2026



कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 08.05.2026 को मन निरीक्षक मय स्टाफ हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल हूँ कि रामचन्द्र पुत्र भीम सिंह वासी सुभाष नगर खुराना रोड वार्ड न.3, कैथल ने हाजिर कार्यालय आकर एक हस्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की, जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और आपसी लेन-देन सम्बन्धित रिकार्ड बातचीत सुनने उपरान्त सन्तुष्टि होने पर मन निरीक्षक की हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500-500/- रुपये के 100 अदद करन्सी नोट मुबलिक 50,000/- रुपये मन निरीक्षक को पेश किए। जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर फर्द सूचि करन्सी नोट व फर्द इन्वेंटरी तैयार की गई। फर्द सूचि करन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता रामचन्द्र उपरोक्त ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करने बारे आग्रह किया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के उचित आदेश व्हटसअप के माध्यम से प्राप्त होने उपरांत मेरे द्वारा श्री गिरिश चावला, HCS सैक्टरी RTA कैथल से सम्पर्क किया गया और हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर हाजिर कार्यालय रा.स. एवं भ.नि. ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल आने बारे निवेदन किया

गया। दरखास्त के मजबूत से श्री ओम हुड्डा मालिक/प्रिंसिपल आदर्श हाई स्कूल चौशाला जिला कैथल के खिलाफ सूत्र जुर्म जेर धारा 7A PC ACT 1988 व 308(2) BNS का सरजद होना पाया गया। मन निरीक्षक मय स.उ.नि. बलजिन्द्र कौर न. 191/अम्बाला, ई.स.उ.नि. बीरबल न. 1368/करनाल, ई.स.उ.नि. धर्मबीर सिंह 1561/अम्बाला, सि गुलशन कुमार न. 1780/करनाल व सि. मनीष न. 433/पंचकूला बा सवारी गाडी सरकारी न. HR03 GV 1432 जिसका चालक ई.मु.सि. रोहित नरवाल न. 107/KKR व प्राईवेट गाडी तथा तफतीशी बैग, लैपटॉप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त ई.स.उ.नि. बीरबल न. 1368/करनाल के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग सख्या अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट कैथल व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए।
अज- रा.स.एवं भ.नि.ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल।

-sd- अंगेजी Sube Singh
निरीक्षक,
रा.स. एवं भ.नि. ब्यूरो,
उपकेन्द्र कैथल।
दिनांक 08.05.2026
समय: 3.45 pm



अज थाना :- इस समय एक टाईप शुदा लेख उपरोक्त निरीक्षक सुबे सिंह रा.स.एवं भ.नि.ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल बर दरखास्त श्री रामचन्द्र पुत्र श्री भीम सिंह वासी सुभाष नगर खुराना रोड कैथल बर खिलाफ औम हुड्डा मालिक प्रिन्सिपल आदर्श स्कूल चौशाला हाल बडसीकरी जिला कैथल बाबत शिकायतकर्ता की पुत्र वधु सुदेश देवी की आठवीं व दसवीं की डी.एम.सी. मे माता का नाम ठीक करवाने की एजव मे 50000/- रुपये रिस्वत मांगने बारे बाजूर्म 7A PC ACT 1988 व 308(2) BNS का होना पाया जाने पर बदस्त ई.स.उ.नि. बीरबल न. 1368/करनाल के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 07 दिनांक 08.05.2026 धाराधीन 7A PC ACT 1988 व 308(2) BNS थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल की सेवा मे ई-मेल के माध्यम से व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु आने वाले ई.स.उ.नि. बीरबल न. 1368/करनाल के द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। यह अभियोग निरीक्षक चन्द्रशेखर रा0चौ0 एवं भ0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

3. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SUBE Rank (पद): I (Inspector)
SINGH

No. (सं.): 517KTL to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कोपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

